न्यायालय सिविल जज (जू०डि०), रामसनेही घाट, कोर्ट नं० 14, बाराबंकी।

मूलवाद संख्या–70/2000

इफ्तिखार अहमद बनाम काशीराम आदि

30.04.2019

पत्रावली पेश हुई।

वादी की ओर से प्रार्थना पत्र क–74 मय शपथ पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उक्त वाद में प्रतिवादी संख्या 1 काशीराम का देहान्त दिनांक 30.08.2013 को हो गया है तथा उनके विधिक वारिस व कायम मुकामान पुत्रगण जगदीश, विक्रम, शिवलाल व पत्नी श्रीमती मंझकला हैं। कायम मुकामान का नाम न मालूम हो पाने के कारण समय से प्रार्थना पत्र नहीं दिया जा सका अतः वादीगण धारा 5 मियाद अधिनियम का लाभ प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अतः विलम्ब को माफ कर प्रार्थनापत्र में वर्णित आधारों पर वाद पत्र में संशोधन चाहा गया है।

प्रतिवादीगण की ओर से आपत्ति ग–78 प्रस्तुत कर आपत्ति की गयी है कि प्रार्थना पत्र विलम्ब से दिया गया है। प्रार्थना पत्र कायम मुकामी में प्रतिवादी संख्या ¼ का नाम मंझलका गलत लिखा गया है, उसका सही नाम शम्भू देवी है। वादीगण को पूर्णरूप से जानकारी रही है तथा वादीगण व प्रतिवादीगण का निवास एक ही गांव का है। अतः प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाए।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रतिवादी संख्या 1 काशीराम का देहान्त दिनांक 30.08.2013 को होना कहा गया है। कथन के समर्थन में शपथ पत्र दिया गया है। शपथ पत्र में अविश्वास किए जाने का कोई कारण नहीं है। वारिसान प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

वारिसान प्रार्थना पत्र क–74 स्वीकार किया जाता है। तदनुसार संशोधन अन्दर 14 दिन करे।

पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 15.07.2019 को पेश हो।

सिविल जज (जू०डि०),
कोर्ट नं० 14, बाराबंकी